वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. – 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

पत्र संख्या- 117 /2025 ***दिनांक- 28.03.2025***

हेमराज मीना, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने के क्रम में आज दिनांक- 28.03.2025 को आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्नवत कार्यवाहियां की गयी है-

01.थाना बिलरियागंजः हत्या के प्रयास में वांछित एक अभियुक्त गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 22.03.25 को आवेदक सूर्यप्रकाश मिश्र पुत्र स्व0 रामचन्द्र मिश्र ग्रा0 सेठारी थाना बिलरियागंज जिला आजमगढ़ उपस्थित थाना आकर प्रा0पत्र दिये कि जमीनी विवाद की रंजिश को लेकर समय करीब 1 बजे दिन मे मेरे ही गांव के निवासी प्रदीप मिश्र, प्रवीण पुत्रगण विश्वनाथ, मिथलेश पुत्र राम सकल, रविन्द्र पुत्र चन्द्रिका, दीपनरायन पुत्र चन्द्रिका, आकाश, आदर्श पुत्रगण राजेश पुष्पा मिश्रा पत्नी मिथलेश, पवन कुमार राय (जैकी) पुत्र उमेश राय निवासी पटवध सरैया प्रतीक मिश्र पुत्र रविन्द्र व तीन लोग अज्ञात लाठी डन्डा धार दार हथियार से लैस होकर नाजायज गोल बनाकर माँ बहन की भद्दी भद्दी गालियां देते हुए दरवाजे पर चढ़ आए कैमरा तोड़ने के बाद घर मे घुसकर जान मारने के नियत से मेरे भाई जय प्रकाश मिश्र मेरी भाभी रीता मिश्रा, भतीजा किशन (जयश्रीष) मेरे पुत्र शिवम मिश्र मेरी पत्नी लक्ष्मी मिश्रा को घर में घुसकर मार पीटकर बेहोश कर दिए मेरे परिवार के घायलो की हालत नाजुक है उन्हें गम्भीर चोटे आई इस घटना को गांव के बहुत से लोगो ने देखा उपरोक्त लोग जान से मार डालने की धमकी देते चले गए और दुकान मे तोड़ फोड़ भी किए सारे घायलों को PHC बिलरियागंज ले जाया गया वहाँ से डाक्टरो द्वारा नाजुक स्थिति देखते हुए तुरन्त रेफर कर दिया गया सभी घायलो जिला अस्पताल आजमगढ़ मे भर्ती कराया गया, के सम्बन्ध में थाना बिलरियागंज पर मु0अ0स0 87/25 धारा 3(5),333,109,110,115(2),352,351(2),324(4) बीएनएस पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गयी।

गिरफ्तारी का विवरणः-

दिनांक 28.3.25 को उ0नि0लवकुश कुमार मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त रविन्द्रनाथ मिश्रा पुत्र स्व0 चन्द्रिका मिश्रा निवासी सेठारी,पटवध कौतूक थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ को अभियुक्त के घर ग्राम सेठारी से समय करीब 12.45 बजे ग्राम सेठारी से गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

02.थाना- फूलपुर: अवैध असलहा व कारतूस के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार।

पूर्व की घटना/इतिहास–

दिनांक 28.03.2025 को थाना प्रभारी उ0नि0 रज्जन द्विवेदी मय हमराह द्वारा चेकिंग के दौरान चकल्लाह मोड़ मोड के पास फास्ट फूड की दूकान के पास से अभियुक्त रुपेश सिंह पुत्र स्व0 अरविन्द सिंह सा0 वुढनपुर थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ को दिनाक 28.03.2025 को समय करीब 00.05 बजे एक अदद कट्टा .315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतुस .315 बोर के साथ को जुर्म धारा 3/25 आर्म्स एक्ट बता कर हिरासत पुलिस में नियमानुसार लिया गया व न्यायिक अभिरक्षा जिला कारागार भेजा गया।

पंजीकृत अभियोग-

1- मु0अ0सं0 -165/2025 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना फूलपुर,आजमगढ़

आपराधिक इतिहास-

1. बृजेश कुमार पुत्र केदारनाथ निवासी ग्राम चमराडीह थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 25 वर्ष।

क्र0सं0	मु0अ0सं0	धारा	थाना	जनपद
1	26/2022	323/364ए/392/411 भादवि	अतरौलिया	आजमगढ़
2	53/2024	379 भादवि	अतरौलिया	आजमगढ़
3	199/2023	177/182 भादवि	अतरौलिया	आजमगढ़
4	231/2022	3(1) यूपी गैगेस्टर एक्ट	अतरौलिया	आजमगढ़

03.थाना – रौनापार: किशोरी के साथ दुष्कर्म करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना/इतिहास का विवरण-

वादी थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ के लिखित प्रार्थना पत्र के आधार पर कि दिनांक 18.03.25 को समय करीब 15.00 बजे खुद की पुत्री उम्र 17 वर्ष को विपक्षी शक्तिमान निषाद पुत्र राजपत निषाद द्वारा बहला फुसलाकर भगा ले जाने के सम्बन्ध मे थाना स्थानीय पर दिनांक 25.03.25 को मु0अ0सं0 108/25 धारा 137(2),87 बीएनएस बनाम शक्तिमान निषाद पुत्र राजपत निषाद निवासी ग्राम सरदौली गड़थौली बुढानपुर केवटहिया थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ के पंजीकृत किया गया। जिसकी विवेचना उ0नि0 दयाशंकर द्वारा की जा रही थी कि दौराने विवेचना पीड़िता की बरामदगी व बयान 180/183बीएनएसएस व मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर मुकदमा उपरोक्त मे धारा 64 बीएनएस व ¾ पाक्सो एक्ट की बढोतरी किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण-

दिनांक 28.03.25 को उ0नि0 दयाशंकर मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त शक्तिमान निषाद पुत्र राजपत निषाद निवासी ग्राम सरदौली गड़थौली बुढानपुर केवटहिया थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ उम्र 22 वर्ष को खेरेलिया ढाला से समय करीब 09.50 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारशुदा अभियुक्त शक्तिमान उपरोक्त को हिरासत पुलिस मे लेकर मा0न्या0 रवाना किया गया।

04.थाना कन्धरापुरः गैंगेस्टर के अभियोग मे वांछित एक अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना का विवरण –

दिनांक 21.09.2024 को रमेश यादव पुत्र रामकरन यादव निवासी नरायनपुर थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ के द्वारा प्रा0पत्र दिया गया कि दिनांक 20.09.2024 को समय करीब 09.30 बजे रात्रि मेरे गांव के उत्तर तरफ सिवान में विजयी मौर्या पुत्र शिवनाथ के परती खेत में तीन व्यक्ति 1.मोहम्मद पुत्र अब्दुल जलील 2.वसीम पुत्र सहाबुद्दीन 3. नियाज उर्फ मोटू पुत्र इस्तेखार अहमद निवासीगण ग्राम खानका थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ प्रतिबंधित पशु को काट कर बोरी मे भरकर मो0सा0 पर रखकर मो0सा0 से भागने लगे तो गांव के लोगो द्वारा दौड़ाकर एक व्यक्ति को पकड़ लिया गया तथा उसके साथी वसीम व नियाज उपरोक्त बोरी मे भरे मांस को फेंककर असलहा लहराते हुए मो0सा0 सहित भाग गए, व्यक्ति से पुनः पूछने पर अपना नाम मोहम्मद पुत्र जलील बताया तथा भागने वाले का नाम पूछने पर वसीम पुत्र सहाबुद्दीन, व नियाज उर्फ मोटू पुत्र इस्तेखार अहमद निवासीगण ग्राम खानका थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ बताया जिसके सम्बन्ध में मु0अ0सं0 268/24 धारा 3/5/8 गो हत्या निवारण अधि0 उ0प्र0 बनाम 1.मोहम्मद पुत्र अब्दुल जलील 2.वसीम पुत्र सहाबुद्दीन 3. नियाज उर्फ मोटू पुत्र इस्तेखार अहमद निवासीगण ग्राम खानका थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ दर्ज कराया गया था। जिसकी विवेचना उ0नि0 जावेद अख्तर थाना कन्धरापुर के द्वारा की गयी एवं विवेचनोपरान्त अभियुक्तगण के विरूद्ध गैंगेस्टर एक्ट मु0अ0सं0 76/25 धारा 2(b)(xvii)/3(1) उ0प्र0 गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम 1986, पंजीकृत किया गया जिसकी विवेचना प्रचलित है।

गिरफ्तारी का विवरण–

दिनांक 28.03.2025 को प्रभारी निरीक्षक कन्धरापुर कृष्ण कुमार गुप्ता के निर्देशन मे उ0नि0 जावेद अख्तर मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त वसीम पुत्र सहाबुद्दीन निवासी ग्राम खानका थाना बिलरियागंज आजमगढ़ उम्र 32 वर्ष जो मोतीगंज बाजार से आगे जैराजपुर से समय करीब 05.02 बजे गिरफ्तार किया गया।

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0 76/2025 धारा 2(b)(xvii)/3(1) उ0प्र0 गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम 1986,

आपराधिक इतिहासः-

1.मु0अ0सं0 268/2024 धारा 3/5/8 गो वध अधिनियम थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ़

2. मु0अ0सं0 मु0अ0सं0 278/2024 धारा 379 भादवि थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़।

3. मु0अ0सं0 272/2024 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़।

4. मु0अ0सं0 76/2025 धारा 2(b)(xvii)/3(1) उ0प्र0 गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम 1986 ।

प्रेस-विज्ञप्ति, दिनांक- 28.03.2025, जनपद आजमगढ़

"ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के तहत जनपदीय पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 01 आरोपी अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा हत्या के आरोप में दोषी करार देते हुए **आजीवन कारावास व 10,000 रुपये** से दण्डित किया गया।

थाना बरदहः हत्या के 01 आरोपी अभियुक्त को आजीवन कारावास व 10,000/- रूपये जुर्माना।

➡ दिनांक- 16.12.2013 को रामबहादुर पुत्र रामनाथ निवासी महरौड़ा, थाना खेतासरांय जनपद जौनपुर द्वारा ने थाना बरदह जनपद आजमगढ़ पर लिखित तहरीर दी थी कि वादी की लड़की मीना को दिनांक 10.12.2013 को उसके पति /अभियुक्तः **प्रहलाद पुत्र जलभरत निवासी लसड़ाखुर्द थाना बरदह, जनपद आजमगढ़ द्वारा वादी की पुत्री मीना को मिट्टी का तेल छीड़ककर जला कर हत्या कर देना।**

➡ अभियुक्त के विरूद्ध थाना बरदह पर मु0अ0सं0- 479/2013 धारा-302 भादवि पंजीकृत किया गया।

➡ अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया।

➡ मुकदमा उपरोक्त में 12 गवाह परीक्षित हुए है।

➡जिसके क्रम में दिनांक- 28.03.2025 को मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/एफटीसी कोर्ट नं0-02 द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त **प्रहलाद पुत्र जलभरत निवासी लसड़ाखुर्द थाना बरदह, जनपद आजमगढ़ को दोषसिद्ध पाते हुए आजीवन कारावास व 10,000/- रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।**

प्रेस-विज्ञप्ति, दिनांक- 28.03.2025, जनपद आजमगढ़

"ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के तहत जनपदीय पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 04 आरोपियों को मा0 न्यायालय द्वारा गैर इरादतन हत्या के प्रयास के आरोप में दोषी करार देते हुए **03-03 वर्ष के कठोर कारवास व 9000/- रुपये** से प्रत्येक को दण्डित किया गया।

थाना बिलरियागंजः गैर इरादतन हत्या के प्रयास के 04 आरोपी अभियुक्त को 3-3 वर्ष के कठोर कारवास व प्रत्येक को 9,000/- रूपये जुर्माना।

➡ दिनांक- 03.02.2006 को वादी मुकदमा श्री नजरे आलम पुत्र इम्तियाज निवासी छिछोरी थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ ने थाना कोतवाली पर लिखित तहरीर दी थी कि दिनांक- 03.02.2006 को वादी के पिता इम्तियाज को विपक्षीगण **1- तौवाब अहमद पुत्र अशरफ अहमद 2- महताब पुत्र मकसूद अहमद, 3- अकरम पुत्र अब्दुल जैश, 4- असफाक अहमद पुत्र कदीर निवासीगण ग्राम छिछोरी, थाना बिलरियागंज, आजमगढ़ द्वारा पुरानी रंजीश को लेकर लाठी डण्डे व बन्दूक की बट से मारना पीटना।**

➡ अभियुक्तो के विरूद्ध थाना बिलरियागंज पर मु0अ0सं0- 44/06 धारा-308,323,325,504,506,34 भादवि पंजीकृत किया गया।

➡ अभियुक्तों के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया।

➡ मुकदमा उपरोक्त में 07 गवाह परीक्षित हुए है।

➡जिसके क्रम में दिनांक- 28.03.2025 को मा0न्यायालय- एएसजे- 3 जनपद आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्तगण **1- तौवाब अहमद पुत्र अशरफ अहमद 2- महताब पुत्र मकसूद अहमद, 3- अकरम पुत्र अब्दुल जैश, 4- असफाक अहमद पुत्र कदीर निवासीगण ग्राम छिछोरी, थाना बिलरियागंज, आजमगढ़ को दोषसिद्ध पाते हुए 03-03 वर्ष के कठोर कारवास व 9000/- रुपये से प्रत्येक को दण्डित किया गया।**